

192

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक
दिनांक

सी 3-31/84/3/1

भोपाल, दिनांक 24-11-84

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन पदों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उनके लिए अब 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विभागीय परीक्षा से छूट दी जाए। संबंधित प्रशासकीय विभाग/नियंत्रण अधिकारी कृपया उनके विभागीय परीक्षा नियमों/निर्देशों में उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

यह निर्देश आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

के. व. श्रीवास्तव

के0एन0 श्रीवास्तव

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रम. 2